

1491:9/2023

ई0 फाईल संख्या-58805

प्रेषक,

श्याम सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के विभिन्न 06 निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अन्तर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 23.06 कि०मी० एवं लागत ₹ 530.18 लाख है, के शासन सूत्र पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 500.84 लाख (₹ पांच करोड़ चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 06 कार्य हेतु कुल ₹ 060. लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रसं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	शासन द्वारा अनु0 लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के ग्राम देवनगर में हरिदास के घर से शंकर गोलदार के घर तक मार्ग, ग्राम गोविन्दनगर में मुख्य मार्ग से आबादी होते हुए सुखी नदी बन्धे तक आन्तरिक एवं ग्राम नकुलिया में साधुनगर की ओर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	3.900	84.66	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के ग्राम बरा से मझरा अजीतपुर मार्ग एवं ग्राम गौरीखेड़ा से करघटिया मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	3.900	84.70	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के ग्राम में एन0एच0 74 से तीन पानी फिरोजपुर-अलीनगर मार्ग एवं अम्बेडकर नगर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	3.700	80.42	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-सितारगंज के शक्तिफार्म वार्ड नं0 4 नलनि के घर से आनन्दनगर गोपाल की चक्की तक मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	3.400	73.87	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-सितारगंज के ग्राम अरविन्दनगर में झाड़ी मंदिर एवं योग आश्रम तक मार्ग, ग्राम राजनगर में हाथीपाडा तक आन्तरिक मार्ग एवं ग्राम बैकुण्ठपुर में पडागांव मुख्य मार्ग रांजीत के घर से 12 फेमली मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	4.080	88.58	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के	4.080	88.61	0.10

CE(P)  
AAमुख अभियन्ता  
लो.नि.वि.

SSO(P)I

2018/23  
Chief Engineer  
P.W.D.

27024

02/9/23

Ammit-1

3/8/23



विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के ग्राम गुरुग्राम शिवतला मंदिर से मल्होत्रा फार्म की ओर मार्ग, ग्राम तिलियापुर में गन्ना सेन्टर से आन्तरिक मार्ग ग्राम रूद्रपुर में भक्तिनगर मुख्य मार्ग से बन्धे तक मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)			
योग-	23.06	500.84	0.60

(रू0 साठ हजार मात्र)

## 2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

- i. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- ii. कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- iv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- v. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- vi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-1/148651/2023, दिनांक 23 अगस्त, 2023 में



023

प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Shyam Singh**

**Date: 24-08-2023 14:24:33**

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो.नि.वि., रूद्रपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि.नि.वि., खटीमा।
10. गार्ड फाईल।

क्र.सं.	वर्ष में जारी	वर्तमान में	योग
1	120000	60000	180000
2	120000	60000	180000
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
योग	240000	120000	360000

Total Current Allotment To HGS in Above Schemes-Rs.60,000 (Rupees Sixty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/Fax: 0135-2631154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

विभाग-1, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: [ecpwwd@nic.in](mailto:ecpwwd@nic.in)

पत्रांक- /20 यादव/2023

दिनांक- 09.09.2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, नि.नि.वि., खटीमा, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आइटीओ/लोक निर्माण विभाग, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड शासन/देहरादून की प्रति निर्माण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय/रजट, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून





**IFMS**  
Uttarakhand

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024 )**  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/149119/2023  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23080220055  
आवंटन पत्र दिनांक-25-AUG-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम												
पूर्व में जारी												
वर्तमान में जारी												
अब तक का व्यय												
योग												
53-वृहद निर्माण												
योग												
4120000												
60000												
0												
4180000												
4120000												
60000												
0												
4180000												

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,000 (Rupees Sixty Thousand Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: [cicpwwd@nic.in](mailto:cicpwwd@nic.in)

पत्रांक-1083 /20 याता0'क'/2023

दिनांक-26 .09.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून